न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर
पीठासीन अधिकारी आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस
राजस्व वाद संख्या– 43/2018

1. सोहन सिह पुत्र श्री सोजी सिंह जाति रावत
2. प्रताप सिह पुत्र सोजी सिह जाति रावत समस्त निवासीगण ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1.मदन सिंह पुत्र श्री सोजी सिह जाति रावत निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर
2. श्रीमति सोहनी पुत्री श्री सोजी सिह जाति रावत निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश दिनांक 18.03.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। उभय पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित कृषि भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 1288 मिन रकबा 0–10–00 के वर्तमान खसरा नम्बर 1471 मिन रकबा 0.08 हैक्टर चाही 1, वर्किंग खसरा नम्बर 1289 रकबा 0–19–10 वर्तमान खसरा नम्बर 1471 मिन रकबा 0.16 हैक्टर चाही 1 वर्किंग खसरा नम्बर 1290 रकबा 0–8–0 के वर्तमान खसरा नम्बर 1470 रकबा 0.06 चाही 1 वर्किंग खसरा नम्बर 1291 रकबा 3–10–0 में से 1–0–0 के वर्तमान खसरा नम्बर 2724/1453 रकबा 0.16 हैक्टर चाही 1 वर्किंग खसरा नम्बर 1296 रकबा 1–13–0 वर्तमान खसरा न म्बर 1469 रकबा 0.26 चाही 1 वर्किंग खसरा नम्बर 1297 रकबा 0–1–0 वर्तमान खसरा नम्बर 1473 रकबा 0.01 गेर मुमकिन चाह की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की माता श्रीमति झूमी के द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र 10.3.2008 को क्रय की गई। परन्तु वर्तमान खसरा नम्बर 1469, 1471 एवं 2724/1453 की भूमि वर्तमान जमाबंदी के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की माता श्रीमति झूमी के नाम दर्ज है। श्रीमति झूमी का स्वर्गवास हो चुका है। परन्तु वर्तमान खसरा नम्बर 1470 एवं 1473 की भूमि वर्तमान जमाबंदी में श्रीमती झूमी के साथ सहवन से प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिह के नाम भी गलत दर्ज कर दिया जबकि उपरोक्त समस्त भूमि

Scanned with CamScanner

को वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की माता श्रीमति झूमी के द्वारा कय की गई, श्रीमति झूमी माता का स्वर्गवास हो चुका है। इस कारण उपरोक्त भूमि जिसमें 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 का तथा 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का एवं 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विरासत में प्राप्त होने के कारण सहहिस्से खातेदार है। एवं वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज है। लोक आदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है के अनुसार वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाता है। राजीनामे में वर्णितअनुसार वादी संख्या 1 व 2 को 1/4 –1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/4 –1/4 हिस्से का खातेदारी घोषित करने में पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है एवं उपरोक्तानुसार वर्तमान जमाबंदी में खातेदारी इन्द्राज दर्ज किये जाने में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई आपत्ति नही है।

अतः बहरूर राजीनामा ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1471 मिन रकबा 0.08 चाही 1, 1471 मिन रकबा 0.16 चाही 1, 1470 रकबा 0.06 चाही 1, 2724/1453 रकबा 0.16 चाही 1 1469 रकबा 0.26 चाही 1, 1473 रकबा 0.01 गेर मुमकिन चा में वादी संख्या 1 श्री सोहनसिह का 1/4 व वादी संख्या 2 प्रतापसिह का 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 मदनसिह का 1/4, एवं प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमति सोहनी का 1/4 हिस्सा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। डिकी पर्चा तैयार हो तथा इस आश्य की तहरीर तहसीलदार अजमेर को जारी हो।

आदेश आज दिनांक 18.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.11.07 11:56:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: